भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1217
उत्तर देने की तारीख 27.07.2026

गाजियाबाद में सांस्कृतिक अवसंरचना का विकास

1217. श्री अतुल गर्ग :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गाजियाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रेक्षागृहों (ऑडिटोरियम) और सार्वजनिक पुस्तकालयों सहित सांस्कृतिक अवसंरचना की स्थापना और उन्नयन के लिए व्यवस्थित वित्तीय अनुदान प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के दौरान स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों और क्षेत्रीय साहित्यिक अनुसंधान को सहायता प्रदान करने के लिए संवितरित कुल केंद्रीय निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गाजियाबाद में स्थानीय ऐतिहासिक पुरावशेषों और पारंपरिक हस्तशिल्प को सुरक्षित रखने के लिए एक समर्पित क्षेत्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए वित्तपोषण कर रही है;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पारंपरिक कला रूपों और शास्त्रीय संगीत के संरक्षण के लिए काम कर रहे स्थानीय युवा क्लबों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गाजियाबाद के युवाओं में गहरी ऐतिहासिक जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्रीय स्कूल पाठ्यक्रम में स्थानीय सांस्कृतिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए भविष्य की पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय निम्नलिखित दो स्कीमों का संचालन करता है, जिनके तहत एनजीओ, ट्रस्ट, सोसायटी, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों आदि को मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रूम आदि के लिए सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ सभागार जैसे सांस्कृतिक स्थलों के निर्माण

के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम में मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रवींद्र भवन, रंगशालाएं, आदि) के जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, विस्तार, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है:-

(i) 'टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी स्कीम) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता; और
(ii) स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता।

उपरोक्त स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

इसके अलावा, पुस्तकालय राज्य की विषयवस्तु होने के कारण सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और कार्यकरण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आरआरआरएलएफ), कोलकाता उत्तर प्रदेश सहित देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए अपनी विभिन्न स्वीकृत समतुल्य और गैर-समतुल्य स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसका उद्देश्य संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पुस्तकालय प्राधिकरण के सक्रिय सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालयों के ज्ञान संसाधनों को समृद्ध करना, पुस्तकालय फर्नीचर की खरीद, पुस्तकालय भवन का निर्माण, बाल कॉर्नर, ज्ञान कॉर्नर स्थापित करना, दिव्यांगजन पाठकों के लिए सुविधाओं का सृजन करना तथा कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की खरीद के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है। आरआरआरएलएफ की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्य स्तरीय योजना समिति (एसएलपीसी) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत पात्र अनुशंसित आवेदन के आधार पर प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत पात्र और अनुशंसित आवेदन के आधार पर वर्ष 2025-26 के दौरान गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए आरआरआरएलएफ स्कीमों के माध्यम से जारी की गई वित्तीय सहायता **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) स्कीम के अंतर्गत 'एनएमएल मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना घटक' के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में 1 राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और 1 जिला पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में एनएमएल स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): संस्कृति मंत्रालय 'कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन करता है जिसके अंतर्गत विभिन्न स्कीम घटकों के माध्यम से भारत के पारंपरिक कला रूपों, शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, परिरक्षण और प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत पारंपरिक कलाओं और शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण और संवर्धन में लगे संस्थानों सहित पात्र सांस्कृतिक संगठन,

संस्थान और पंजीकृत सोसाइटियां निर्धारित दिशानिर्देशों और पात्रता मापदंडों को पूरा करने पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में युवा क्लबों को उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई किसी अलग स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, पारंपरिक कला रूपों, शास्त्रीय संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यकलापों के संरक्षण और संवर्धन के लिए युवाओं के साथ कार्यरत पात्र संगठन, कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता स्कीम जैसे मंत्रालय के मौजूदा स्कीम आधारित ढांचे और अन्य प्रासंगिक स्कीमों के अंतर्गत अर्हता, निधियों की उपलब्धता, स्कीम दिशानिर्देशों का अनुपालन के आधार पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(ड.): ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-I

'गाजियाबाद में सांस्कृतिक अवसंरचना का विकास' के संबंध में दिनांक 27 जुलाई, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1217 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि के लिए सुविधाओं और अवसंरचना से युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थलों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों, प्रतिष्ठित गैर-लाभ-अर्जक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक में मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाओं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है। सामान्यत: इस स्कीम घटक के अंतर्गत, किसी परियोजना के लिए अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार/पूर्वोत्तर परियोजनाओं हेतु एनजीओ या संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा तथा एनईआर को छोड़कर, केन्द्रीय सहायता और राज्य के हिस्से (समतुल्य हिस्सा) का अनुपात 60:40 है।

2. **स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक-II

'गाजियाबाद में सांस्कृतिक अवसंरचना का विकास' के संबंध में दिनांक 27 जुलाई, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1217 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	**संगठन**	**स्कीम**	**जारी राशि (रु.)**	**लाभार्थी संगठनों/ पुस्तकालयों की संख्या**
1.	विशेष कार्य अधिकारी (पुस्तकालय)	पुस्तकों का भंडारण-समतुल्य	52,62,800	59
2.	विशेष कार्य अधिकारी (पुस्तकालय)	पुस्तकों का भंडारण-समतुल्य	91,25,865	67
3.	विशेष कार्य अधिकारी (पुस्तकालय)	बुक सहायता-समतुल्य	1,55,76,717	76
4.	ओएसडी (पुस्तकालय), शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	पुस्तकालय सेवाओं का आधुनिकीकरण-समतुल्य	87,47,206	58
5.	विशेष कार्य अधिकारी (पुस्तकालय)	परिचालन शुल्क पुस्तकें	2,33,945	356
6	राजकीय जिला पुस्तकालय, वाराणसी	समतुल्य-सेमिनार	4,00,000	1

अनुलग्नक-III

'गाजियाबाद में सांस्कृतिक अवसंरचना का विकास' के संबंध में दिनांक 27 जुलाई, 2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1217 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पुस्तकालय का नाम	**संस्वीकृत राशि (लाख रुपए में)**	**जारी की गई राशि (लाख रुपए में)**	**जिले का नाम**
राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद	206.00	203.75	प्रयागराज
राजकीय जिला पुस्तकालय, इटावा	87.00	85.93	इटावा
